ग्राम पंचायत ईसपुर, विकास खंड हरोली, जिला ऊना के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023
भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत ईसपुर, विकास खंड हरोली, जिला ऊना के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया|

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत ईसपुर में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती वक्शो देवी	01.04.2021 से 31.03.2023

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	सर्वश्री विष्णु दत्त शर्मा	01.04.2021 से 31.05.2021
2.	रवि कुमार	01.06.2021 से 26.11.2021
3.	प्रवीन परमार	26.11.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत ईसपुर, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष	29.99
2)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.78
3)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.14
4)	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली करना	0.06
5)	7.4	सचिव द्वारा चैक से स्वयं राशि आहरित करके नगद रूप में भुगतान करना	3.42
6)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	14.33
7)	8.2	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय	0.74
8)	8.3	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.50
9)	8.4	आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.29
10)	9.1	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	24.11
11)	9.2	माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	23.27
12)	9.3	उचित बिलों के बिना भुगतान करना	0.14

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 03/2019

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-3	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
2.	पैरा-4 (क)	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
3.	पैरा-4 (ख)	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
4.	पैरा-4 (ग)	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
5.	पैरा-4 (घ)	अनिर्णीत।	
6.	पैरा-4 (ड.)	अनिर्णीत।	
7.	पैरा-5 (क व ख)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 में पुनः प्रारूपित।
8.	पैरा-6	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
9.	पैरा-7	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-8	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
11.	पैरा-9	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
12.	पैरा-10	अनिर्णीत।	
13.	पैरा-11	अनिर्णीत।	
14.	पैरा-12	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
15.	पैरा-13	अनिर्णीत।	
16.	पैरा-14	अनिर्णीत	
17.	पैरा-15	अनिर्णीत	
18.	पैरा-16	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
19.	पैरा-17	अनिर्णीत	
20.	पैरा-18	अनिर्णीत	
21.	पैरा-19	अनिर्णीत	
22.	पैरा-20	अनिर्णीत	
23.	पैरा-21	अनिर्णीत	
24.	पैरा-22	अनिर्णीत	
25.	पैरा-23	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10.1 में पुनः

			प्रारूपित।
26.	पैरा-24	अनिर्णीत	
27.	पैरा-25	अनिर्णीत	
28.	पैरा-26	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुन: प्रारूपित।

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत ईसपुर, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण सर्वश्री देव राज व अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा दिनांक 27.02.2024 से 02.03.2024 तक ग्राम पंचायत ईसपुर के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2021-22	03/2022	03/2022
2022-23	10/2022	05/2022

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत ईसपुर, विकास खंड हरोली, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹8000/- आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 178/2024 दिनांक 02/03/2024 द्वारा

पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत ईसपुर द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित हरोली के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 294008 दिनांक 05/03/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत ईसपुर द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 147/2024 दिनांक 27.02.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/21 से 03/23 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण सलंग्न **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान सात रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही), स्वच्छ भारत मिशन (IHHL), स्वच्छ भारत मिशन (PFMS), 14वां वित्तायोग, 15वां वित्तायोग (Online), इंदिरा आवास योजना व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2021-22	2474714.91	10343392	12818106.91	8866234.7	3951872.21
1	2022-23	3951872.21	11551429.6	15503301.81	12504282.59	2999019.22

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत ईसपुर के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.23 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹14566.40** था :-

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	2999019.22
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**3013510.62**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	75.00
4)	**योग (2+3)**	**3013585.62**
5)	**अन्तर (4-1)**	**14566.40**

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
1	KCCB Haroli (Own & GIA)	20048031514	664.00
2	KCCB Haroli (Own & GIA)	20048033929	475415.69
3	PNB Pandoga (14th fc)	1733000100097483	3593.72
4	PNB Pandoga (15th fc)	1733000100105043	2302360.90
5	PNB Pandoga (SBM)	1733000100091203	203193.31
6	KCCB Haroli (IAY)	20048032472	28283.00
		योग	**3013510.62**
	हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)		75.00
		योग (1+2)	**3013585.62**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(घ) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.15 लाख का अन्तर :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को **निम्न विवरणानुसार** शीर्षों की रोकड बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹14566.40** का अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 155/2024 दिनांक 29/02/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या G.P/05 दिनांक 02/03/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त अन्तर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से जाँच पड़ताल करने के उपरान्त आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अतः अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

1	2	3	4	5
क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही का अन्तशेष (₹)**	**दिनांक 31.03.2023 को बैंक व हस्तगत शेष का योग (₹)**	**अन्तर (4-3) (₹)**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	476629.19	476154.69	-474.50
3	15वां वित्तायोग	2287320.00	2302360.90	15040.90
			कुल अंतर	**14566.40**

(ड.) रोकड़ बहियों के अनुरक्षण न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार फार्म 14 पर रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 156/2024 दिनांक 29.02.2024 के प्रत्युतर में अपने पत्र

संख्या G.P/05 दिनांक 02/03/2024 द्वारा प्रस्तुत बैंक खातों की सूची अनुसार निम्न विवरणानुसार खाते से सम्बन्धित रोकड़ बही का अनुरक्षण नहीं किया गया था, क्योंकि उक्त खाते में ब्याज के अतिरिक्त कोई भी लेन-देन नहीं हुआ है तथा न ही अंकेक्षण अवधि दौरान रोकड़ बही के आय व व्यय पक्ष में कोई इन्द्राज किया गया था। अतः रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को दिखाया जाए। इसके अतिरिक्त निम्न खाते में अनुपयुक्त राशि का नियमानुसार उपयोग किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	मद का नाम	दिनांक 31.03.2023 को राशि (₹)
1	PNB PANDOGA	1733000100079946	IWMP	**111590.00**

(च) रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालना :-

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही में प्रतिदिन हुए लेन-देन की प्रविष्टियों उपरांत इसे बंद करते हुए अंत शेष निकालना आवश्यक है तथा मासांत एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है | यद्यपि रोकड़ बहियाँ पंचायत प्रधान द्वारा आंशिक रूप से हस्ताक्षरित तो की गई थी, परन्तु न तो इनमें अंतशेष निकाले गए थे और न ही उनका नियमानुसार सत्यापन हुआ था | रोकड़ बहियों के अंतशेष न निकालने तथा बैंक खातों के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह सम्पूर्ण तथा सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करती है | अत: इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 147/2024 दिनांक 27.02.2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या G.P/03 दिनांक 02/03/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/21 से 03/23 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत

सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹29.99 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 147/2024 दिनांक 27.02.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में ₹2999019.22 की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 147/2024 दिनांक 27.02.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या G.P/03 दिनांक 02/03/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेदार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 147/2024 दिनांक 27.02.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या G.P/03 दिनांक 02/03/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.78 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 147/2024 दिनांक 27.02.2024 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या G.P/03 दिनांक 02/03/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹77800/- **(परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	112000	58350	170350	00	170350

2022-23	170350	66450	236800	159000	77800

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.14 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति शुल्क तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹14000/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)**
1	2021-22	8800
2	2022-23	5200
	योग	**14000/-**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158/2024 दिनांक 29.02.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या G.P/05 दिनांक 02/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह

पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.06 लाख की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति शुल्क तथा 30 दिन के विलम्ब के पश्चात दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान **निम्न वर्णित** मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹6400/-** की कम वसूली गई थी।

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण कि तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	कम वसूली गई राशि (₹)
1	SH. Deepak	27-04-21	08-06-2021	400	200	200
2	Sh. Mohit Lal	04-05-21	08-06-2021	400	200	200
3	Sh. Deepak Kumar	18-08-21	04-09-2021	400	00	400
4	Sh. Ram Pal	21-11-21	15-12-2021	200	0	200
5	Sh. Subhash Chand	26-11-21	15-12-2021	200	0	200
6	Sh. Shiv Kumar	13-12-21	28-12-2021	200	0	200
7	Sh. Sukhveer Singh	07-12-21	01-01-2022	200	0	200
8	Sh. Paramjeet Singh	13-12-21	05-01-2022	200	0	200
9	Sh. Bhola	25-11-22	02-02-2022	400	0	400
10	Sh. Abhishek Kumar	14-09-16	14-02-2022	400	0	400
11	Sh. Gagan Deep	05-02-22	29-03-2022	400	200	200
12	Sh. Gourav Kumar	26-09-22	06-10-2022	200	0	200

13	Sh. Shankar	04-12-22	27-12-2022	200	0	200
14	Sh. Vipan Kumar	04-12-22	27-12-2022	200	0	200
15	Sh. Vikas	09-12-22	27-12-2022	200	0	200
16	Sh. Pankaj Kumar	08-12-22	30-12-2022	200	0	200
17	Sh. Darshan Kumar	09-12-22	09-01-2023	400	0	400
18	Sh. Raman Kumar	09-12-22	09-01-2023	400	0	400
19	Sh. Rohit Kumar	15-01-23	06-02-2023	200	0	200
20	Sh. Abhishek Pooni	20-01-23	08-02-2023	200	0	200
21	Sh. Hari Pal	08-12-22	20-02-2023	400	0	400
22	Sh. Mohd. Aslam	25-12-22	22-02-2023	400	0	400
23	Sh. Rahul Pathak	15-02-23	03-03-2023	200	0	200
24	Sh. Anil Kumar	22-02-23	14-03-2023	200	0	200
25	Sh. Mukesh Pathak	06-02-23	27-03-2023	400	200	200
					योग	**6400/-**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 164/2024 दिनांक 01.03.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या G.P/05 दिनांक 02/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली गई राशि की वसूली रसीद संख्या 253703 दिनांक 02/03/2024 द्वारा सम्बन्धित से करके पंचायत लेखे में जमा करवा दी गई गई है, जिसे राजकीय कोष के मद 0235-00-800-03 में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.4 सचिव द्वारा चैक से स्वयं राशि आहरित करके ₹3.42 लाख का नगद रूप में भुगतान करना:-

अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 दौरान चयनित मासों 03/22 व 05/22 में किए गए व्यय के अंकेक्षण में पाया गया कि सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा निम्न वर्णित ₹342027/- की मजदूरी व स्टेशनरी के लिए भुगतान चैक से स्वयं राशि आहरित करके नगद रूप में किया गया, जबकि

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार ₹1000/- से अधिक राशि का भुगतान केवल चैक द्वारा ही सम्बन्धित को किया जा सकता है | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 168/2024 दिनांक 01.03.24 द्वारा सचिव से आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या G.P/05 दिनांक 02/03/2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त नगद भुगतान मजदूरों के बैंक खाते न होने के कारण किया गया था जिसे अब दिनांक 01.04.23 से RTGS / Cheque / NEFT द्वारा किया जा रहा है तथा ऐसी गलती को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि नियमों के विपरीत किया गया सम्पूर्ण व्यय संदेहास्पद है एवं उचित प्रतीत नहीं होता है, जिसे विकास खंड हरोली के उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा भविष्य में नियमानुसार ही राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	**वाउचर संख्या**	**माह**	**भुगतान की गई राशि (₹)**	**टिप्पणी**
1	114	03/22	34888	मजदूरी
2	115	03/22	15136	मजदूरी
3	116	03/22	2700	मजदूरी
4	117	03/22	3600	मजदूरी
5	118	03/22	3600	मजदूरी
6	125(A)	03/22	27920	मजदूरी
7	125(B)	03/22	27920	मजदूरी
8	127	03/22	50256	मजदूरी
9	133	03/22	50256	मजदूरी
10	07	05/22	58748	मजदूरी
11	10	05/22	65208	मजदूरी
12	16	05/22	1795	स्टेशनरी
		योग	**342027**	

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹14.33 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष के अन्तर्गत पंचायत

द्वारा सलंग्न **परिशिष्ट "ग"** अनुसार ₹1432589/- की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 165/2024 दिनांक 01/03/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या G.P/05 दिनांक 02/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है | अतः उपरोक्त व्यय को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए । सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

8.2 **₹0.74 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-**

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **₹73986/-** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 169/2024 दिनांक 01.03.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या G.P/05 दिनांक 02/03/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	वाउचर संख्या	माह	विवरण	राशि(18% GST सहित)
1	15TH fc	16	05/22	5700 टाईल / पेवर @ 12.98/- प्रति पेवर	73986
				योग	**73986/-**

8.3 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.50 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा |

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 03/2022 व 05/2022 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **परिशिष्ट "घ"** अनुसार ₹49555/- का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 170/2024 दिनांक 02/03/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या G.P/05 दिनांक 02/03/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: **₹49555/-** की रॉयल्टी की कटौती न करके किये गये अनियमित भुगतान से सम्बन्धित मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए व तदानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

8.4 आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.29 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के चयनित माह 03/2022 व 05/2022 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट-ङ** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹1458574/-** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹29172/-** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	**चयनित माह**	**फर्म / व्यक्ति का नाम**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि**	**योग**	**जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि**
1	03/2022	M/s Gagan & Brothers Ghaluwal	Steel	493910	1023604	20472.08 (2% x 1023604)
	05/2022			529694		
2	05/2022	M/s Ojas Blocks & Flyash Bricks Baruhi	Gym Material	434970	434970	8699.40 (2% x 434970)
				योग	**1458574**	**29172/-**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 174/2024 दिनांक 02/03/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या G.P/05 दिनांक 02/03/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित ₹**29172/-** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए । अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

8.5 स्व: स्त्रोत शीर्ष से ₹0.08 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित माह 03/22 में व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत निधि लेखे से Puri Catering Service Ghaluwal को वाउचर संख्या 124 दिनांक 17/03/2022 द्वारा मण्डी रैली में गए 52 नंबर ग्राम वासियों को सुबह व दोपहर के भोजन व्यवस्था के लिए **₹7800/-** का भुगतान किया गया, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 8 अनुसार स्व: स्त्रोत निधि पर वैध प्रभार नहीं है | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 177/2024 दिनांक 02/03/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या G.P/05 दिनांक 02/03/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

8.6 गणना की गलती के कारण ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 48 के अनुसार पंचायत द्वारा सभी दावों का भुगतान करने से पूर्व इनकी गणित सम्बन्धी शुद्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है । परन्तु ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित माह 03/22 में व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि 15वें शीर्ष से सामग्री के क्रय के लिए वाउचर संख्या 6(c) द्वारा **निम्न विवरणानुसार** गणना में त्रुटि के कारण **₹3292/-** का अधिक भुगतान M/S Gagan & Brothers ghaluwal को किया गया था | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 176/2024 दिनांक 02/03/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या G.P/05

दिनांक 02/03/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

क्रम संख्या	**वस्तु का नाम**	**मात्रा**	**दर**	**भुगतान योग्य राशि (₹)**
1	स्टील पतरे	4 नंबर	2800 प्रति पतरा	11200
	वेल	57KG	93 प्रति किलो ग्राम	5301
	स्क्रू	1300	15 प्रति स्क्रू	19500
2	**योग**			**36001**
3	**GST (18%)**			6480
4	**भुगतान योग्य राशि (2+3)**			**42481**
5	**भुगतान की गई राशि**			**45773**
6	**अधिक भुगतान की गई राशि (ब-अ)**			**3292/-**

9.1 ₹24.11 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित माह 03/2022 व 05/2022 में **सलंग्न परिशिष्ट "च" अनुसार ₹2410947.60** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था | उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 166/2024 दिनांक 01/03/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ईसपुर के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या G.P/05 दिनांक 02/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

9.2 ₹23.27 लाख के व्यय से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 03/2022 व 05/2022 में सलंग्न **परिशिष्ट "छ"** में वर्णित कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹2326775/**- का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 162/2024 दिनांक 01/03/2024 तथा अनुस्मारक संख्या 175/2024 दिनांक 02/03/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या G.P/05 दिनांक 02/03/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी | नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए |

9.3 उचित बिलों के बिना ₹0.14 लाख का भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 47 (2) के अनुसार दावाकर्ता को अपने दावे उचित बिल पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा शीर्ष से निम्नानुसार आपूर्तिकर्ता को मिक्सचर के किराये के रूप में **निम्न विवरणानुसार ₹13790/-** का भुगतान किया गया था । लेकिन आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान किया गया था जोकि नियमानुसार उचित नहीं है । उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 167/2024 दिनांक 01.03.2024 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत ईसपुर के ध्यानार्थ लाया गया । प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या G.P/05 दिनांक 02/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा । अतः उक्त आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त किए जाने सुनिश्चित किए जाएँ । अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	माह	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	मनरेगा	212	05/2022	श्री हरजोत सिंह ईसपुर	मिक्सचर	3540
2	मनरेगा	204	05/2022	श्री हरजोत सिंह ईसपुर	मिक्सचर	5900
3	मनरेगा	250	05/2022	श्री हरजोत सिंह ईसपुर	मिक्सचर	4350
					योग	**13790/-**

9.4 प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण अधियाचना संख्या 163/2024 दिनांक 01/03/2024 द्वारा पंचायत सचिव से **निम्न विवरणानुसार** कार्यों से सम्बन्धित उक्त नियम 2002 के अध्याय-XI में वर्णित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या G.P/05 दिनांक 02/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख को जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	मद का नाम	निर्माण कार्य का नाम
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	निर्माण Community Centre ward No. 6 Guru ravidas.
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	निर्माण Community Centre ward No. 8 Shitla Mata.
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	निर्माण Community Centre ward No. 9 Dhamami

4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	Panchayat Bhawan Maintance
5	मनरेगा	R/o Talab (panchvati) Pathkalan
6	मनरेगा	R/o Pond (Panchvati) Shitla Mata
7	मनरेगा	Chanalization of Nala F/o Parkash Chand to F/o Rattan Singh
8	मनरेगा	Chanalization of Nala F/o Brij to H/o Vijay Pathak
9	मनरेगा	C/O Rasta cho se lekar viney ke ghar tak
10	मनरेगा	C/O Path link road to Shiv Kumar ke ghar tak

9.5 स्टोर सामग्री का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित विधि से एक उप समिति गठित करेगी :-

ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिव।

परन्तु अंकेक्षण हेतु चयनित मासों 03/2022 व 05/2022 में व्यय के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय करने व उपायन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया था जो कि उक्त नियम की अवहेलना है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 172/2024 दिनांक 02/03/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या G.P/05 दिनांक 02/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्टोर सामग्री का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया था, जिसे भविष्य में नियमानुसार बनाया जाएगा | अतः स्टोर (सामग्री) उपायन समिति के गठन के बिना क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय की गई स्टोर (सामग्री) को सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

9.6 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था | परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं था, जिनके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 173/2024 दिनांक 02/03/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या G.P/05 दिनांक 02/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा |

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	बिल संख्या	दिनांक	सामग्री का नाम	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	209	23.03.2021	रेत, बजरी	63000
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	1583	20.05.2022	रेत	12075
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	1443	19.05.2022	बजरी	20160
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	1444	19.05.2022	रेत	26460
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	1445	19.05.2022	बजरी	2625

10.1 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 148/2024 दिनांक 27.02.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या G.P/04 दिनांक 02/03/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

10.2 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 171/2024 दिनांक 02.03.2024 द्वारा पंचायत सचिव से रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के अनुसार बनाया जाना वांछित था | प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या G.P/05 दिनांक 02/03/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया है, जिसे नियमानुसार बनाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | अत: वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 147/2024 दिनांक 27.02.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या G.P/03 दिनांक 02/03/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत

द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

2435-2439 फा0/50 10 JUN 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)51/2019–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।
5. पंजीकृत — सचिव, ग्राम पंचायत ईसपुर, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

10 JUN 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

फा0/50

परिशिष्ट "क"

पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत ईसपुर, विकास खण्ड हरोली व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	2474714.91	10343392	12818106.91	8866234.7	3951872.21
2	2022-23	3951872.21	11551429.6	15503301.81	12504282.59	2999019.22

ग्राम पंचायत ईसपुर, विकास खण्ड हरोली व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्रोत व अनुदान (समेकित)Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	893410.19	2190923	3084333.19	2712453	371880.19
2	2022-23	371880.19	2066587	2438467.19	1961838	476629.19

SBM (IHHL) Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	289783	15906	305689	96017.7	209671.3
2	2022-23	209671.3	5558	215229.3	12035.99	203193.31

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
2	2022-23	0	520000	520000	520000	0

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	1097840	2796859	3894699	563823	3330876
2	2022-23	3330876	3174046	6504922	4217602	2287320

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	0	5315340	5315340	5315340	0
2	2022-23	0	5784244.6	5784244.6	5784244.6	0

14वां वित्तायोग Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	92388.72	2505	94893.72	82931	11962.72
2	2022-23	11962.72	193	12155.72	8562	3593.72

IAY Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	101293	21859	123152	95670	27482
2	2022-23	27482	801	28283	0	28283

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	2999019.22
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	**3013510.62**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	75.00
4)	**योग (2+3)**	**3013585.62**
5)	**अन्तर (4-1)**	**14566.40**

(परिशिष्ट क-1) पैरा 4 के संदर्भ में

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Haroli (Own & GIA)	20048031514	664.00
	KCCB Haroli (Own & GIA)	20048033929	475415.69
	PNB Pandoga (14th fc)	1733000100097483	3593.72
	PNB Pandoga (15th fc)	1733000100105043	2302360.90
	PNB Pandoga (SBM)	1733000100091203	203193.31
	KCCB Haroli (IAY)	20048032472	28283.00
		योग	**3013510.62**
2		**हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)**	75.00
		योग (1+2)	**3013585.62**

परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या 7.1 क में संदर्भित

ग्राम पंचायत ईसपुर , विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	112000	58350	170350	00	170350
2022-23	170350	66450	236800	159000	77800

परिशिष्ट 'ग' पैरा संख्या 8.1 में सन्दर्भित

औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना सामग्री का क्रय करना :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	माह	फर्म का नाम व पता	बिल संख्या व दिनांक	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि	टिप्पणी
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	119	03/22	RAJESH PVT. CONT. ISPUR	0211 20/02/22	रेत	5760	
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	120	03/22	RAJESH PVT. CONT. ISPUR	0212 20/02/22	रेत	6480	
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	121	03/22	RAJESH PVT. CONT. ISPUR	0216 20/02/22	रेत	6480	
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	132	03/22	M/S BHATTI TRADERS GHALUWAL	1999 22/03/22	बिजली का सामान	33624	
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	8	05/22	CHANDER SHEKHDER ISPUR	209 23/03/21	रेत, बजरी	63000	
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	12	05/22	M/S SAI TRADERS ISPUR	6 30/04/22	BRICKS 5000 NO.	37075	
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	13	05/22	RAJU SHUTTERING STORE	122 30/04/22	शटरिंग	22000	
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	16	05/22	DHIMAN BOOK STORE HAROLI	752 20/05/22	स्टेशनरी	1795	
9	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	17	05/22	RAJNISH PVT. CONT. ISPUR	210 01/05/22	मिट्टी	2828	
10	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	18	05/22	RAJNISH PVT. CONT. ISPUR	211 01/05/22	बजरी	3744	
11	14th Fc	9	03/22	Hi- Tech Computer system una	2804 27/10/21	कंप्यूटर से सम्बन्धित सामग्री	2650	
12	14th Fc	10	03/22	Hi- Tech Computer system una	3211 04/03/22	कंप्यूटर से सम्बन्धित सामग्री	3849	

13	मनरेगा	208	05/22	M/S NANDAN ENTERPRISE S ISPUR	23 19/01/22	रेत, बजरी इत्यादि	13453	
14	मनरेगा	209	05/22	M/S NANDAN ENTERPRISE S ISPUR	24 19/01/22	ढुलाई	2802	
15	मनरेगा	210	05/22	M/S NANDAN ENTERPRISE S ISPUR	25 19/01/22	ढुलाई	1494	
16	मनरेगा	213	05/22	CHANDER SHEKHER ISPUR	32 19/01/22	बजरी, रेत	8126	
17	मनरेगा	293	05/22	M/s Choudhary bro. & Sons	1028 09-01-22	तसला, कस्सी इत्यादि	13335	
18	मनरेगा	294	05/22	M/s Choudhary bro. & Sons	1026 09-01-22	तसला, कस्सी इत्यादि	13425	
19	मनरेगा	295	05/22	M/S NANDAN ENTERPRISE S ISPUR	34 17/02/22	रेत	4343	
20	मनरेगा	296	05/22	M/S NANDAN ENTERPRISE S ISPUR	36 17/02/22	बजरी	2608	
21	मनरेगा	297	05/22	S.K. Shuttering Store Ispur	401 17/02/22	पानी का टैंक, मिक्सचर इत्यादि	12760	
22	मनरेगा	298	05/22	S.K. Shuttering Store Ispur	402 17/02/22	पानी का टैंक किराया	2800	
23	मनरेगा	299	05/22	CHANDER SHEKHER ISPUR	34 17/02/22	बजरी	9180	
24	मनरेगा	300	05/22	M/S NANDAN ENTERPRISE S ISPUR	35 17/02/22	ढुलाई	4296	

25	मनरेगा	301	05/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	3264 22/12/21	RCC BENCH	23040	
26	मनरेगा	303	05/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	3506 10/01/22	GYM MATERI AL	35584	
27	मनरेगा	304	05/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	3507 10/01/22	GYM MATERI AL	35053	
28	मनरेगा	305	05/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	3508 11/01/22	GYM MATERI AL	30274	
29	मनरेगा	306	05/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	3509 11/01/22	GYM MATERI AL	32398	
30	मनरेगा	307	05/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	3510 11/01/22	GYM MATERI AL	36646	
31	मनरेगा	204	05/22	HARJOT SINGH ISPUR	404 19/01/22	मिक्सचर	5900	
32	मनरेगा	216 TO 223, 221	05/22	M/S GAGAN & BRO. GHALUWAL	382 से 390 21/12/21	STEEL PIPE, पेंट सामग्री इत्यादि	381119	ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि उक्त क्रय व्यापक प्रचार (Wide publicity) अर्थात् कम से कम दो

								समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया जाना अपेक्षित था।
33	मनरेगा	229 TO 233	05/22	M/S GAGAN & BRO. GHALUWAL	391 से 395 22/12/21	STEEL PIPE, पेंट सामग्री इत्यादि	199076	ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि उक्त क्रय व्यापक प्रचार (Wide publicity) अर्थात् कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया जाना अपेक्षित था।
34	मनरेगा	234	05/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	3590 01/01/22	TILES	49560	
35	मनरेगा	250	05/22	HARJOT SINGH ISPUR	02 19/01/22	मिक्सचर	4350	
36	मनरेगा	251	05/22	M/S NANDAN ENTERPRISES ISPUR	27 19/01/22	ढुलाई	1681	
37	मनरेगा	252	05/22	M/S NANDAN ENTERPRISES ISPUR	26 19/01/22	रेत, बजरी	16043	
38	मनरेगा	224	05/22	M/S OJAS BLOCK &	3289 01/01/22	TILES	49560	

				FLYASH BRICKS				
39	मनरेगा	225	05/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	3291 01/01/22	TILES	35188	
40	मनरेगा	226	05/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	3263 22/12/21	RCC BENCH	35400	
41	मनरेगा	3	05/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	3504 06/04/22	GYM MATERI AL	35028	
42	मनरेगा	4	05/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	3505 07/04/22	GYM MATERI AL	35584	
43	मनरेगा	5	05/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	3501 05/04/22	GYM MATERI AL	36646	
44	मनरेगा	6	05/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	3502 05/04/22	GYM MATERI AL	32398	
45	मनरेगा	7	05/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	3503 06/04/22	GYM MATERI AL	30274	
46	मनरेगा	214	05/22	M/S NANDAN ENTERPRISE S ISPUR	29 19/01/22	रेत, बजरी	9491	
47	मनरेगा	215	05/22	M/S NANDAN ENTERPRISE S ISPUR	30 19/01/22	रेत, बजरी	2895	
48	मनरेगा	255	05/22	M/S NANDAN ENTERPRISE S ISPUR	38 19/01/22	ढुलाई	1494	
						योग	**1432589/-**	

परिशिष्ट 'ए' पैरा संख्या ४.3 में संदर्भित

ग्राम पंचायत ईसपुर, विकास खंड हरोली, जिला ऊना											
क्रम संख्या	योजना	वाउचर संख्या/माह	कार्य का नाम	बिल संख्या/दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा(कयुबिक मीटर)मे	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा टनों में	दर प्रति टन	देय रॉयलटी
1	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	119/05-03-2022	PATH LINK ROAD TO ANGANWADI	0211/20-02-2022	Rajnesh private cont.	बजरी	22.64	1.52	34.4128	80	2753.024
2	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	120/05-03-2022	PATH LINK ROAD TO H/O NARESH	0212/20-02-2022	Rajnesh private cont.	बजरी	25.47	1.52	38.7144	80	3097.152
3	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	121/05-03-2022	PATH LINK ROAD TO H/O NARESH	0216/20-02-2022	Rajnesh private cont.	बजरी	25.47	1.52	38.7144	80	3097.152
4	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	08/10-05-2022	c/o community centre ward no 08	209/23-3-2021	Chander Shekhar	बजरी	57	1.52	86.64	80	6931.2
5	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	08/10-05-2022	c/o community centre ward no 08	209/23-3-2021	Chander Shekhar	रेत	27	1.62	43.74	80	3499.2
6	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	15/23-05-2022	c/o shamshanghat Saini moahalla	1443/19-05-2022	Rudra stone crusher	बजरी	22.64	1.52	34.4128	80	2753.024
7	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	15/23-05-2022	c/o shamshanghat Saini moahalla	1445/19-05-2022	Rudra stone crusher	बजरी	2.83	1.52	4.3016	80	344.128

8	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	15/23-05-2022	c/o shamshanghat Saini moahalla	1444/19-05-2022	Rudra stone crusher	रेत	25.47	1.62	41.2614	80	3300.912
9	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	15/23-05-2022	c/o shamshanghat Saini moahalla	1583/20-05-2023	Rudra stone crusher	रेत	14.15	1.62	22.923	80	1833.84
10	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	17/01-05-2022	Path main road to main gali	210/23-05-2022	Rajnesh private cont.	बजरी	2.83	1.52	4.3016	80	344.128
11	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	17/01-05-2022	Path to asha devi ward no 03	211/23-05-2022	Rajnesh private cont.	बजरी	8.49	1.52	12.9048	80	1032.384
12	15th fc	04/16-05-2022	UPGRADATION ON PANCHAYAT GHAR ISPUR	1058/09-05-2022	Rudra stone crusher	बजरी	11.32	1.52	17.2064	80	1376.512
13	15th fc	04/16-05-2022	UPGRADATION ON PANCHAYAT GHAR ISPUR	1059/09-05-2022	Rudra stone crusher	रेत	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
14	15th fc	04/16-05-2022	UPGRADATION ON PANCHAYAT GHAR ISPUR	1060/09-05-2022	Rudra stone crusher	बजरी	2.83	1.52	4.3016	80	344.128
15	15th fc	14/24-05-2022	UPGRADATION ON PANCHAYAT GHAR ISPUR	1582/23-05-2022	Rudra stone crusher	रेत	11.32	1.62	18.3384	80	1467.072

16	MGNREGA	295/05-05-2022	F/C CHOE NALA FIELD OF PRAKASH CHAND TO RATTAN CHAND	34/17-02-2022	NANDAN ENTERPRISES	रेत	21	1.62	34.02	80	2721.6
17	MGNREGA	296/05-05-2022	F/C CHOE NALA FIELD OF PRAKASH CHAND TO RATTAN CHAND	36/17-02-2022	NANDAN ENTERPRISES	बजरी	12	1.52	18.24	80	1459.2
18	MGNREGA	299/05-05-2022	F/C CHOE NALA FIELD OF PRAKASH CHAND TO RATTAN CHAND	34/17-02-2022	Chander Shekhar	बजरी	18	1.52	27.36	80	2188.8
										योग	39643.76
										25% पेनल्टी	9910.94
										कुल योग	49554.7

परिशिष्ट 'ड' पैरा संख्या 8.4 में सन्दर्भित

	माह 03/2022 में M/S Gagan & Brothers Jejo Morh,Vill. Ghaluwal,P.O.Saloh ,Distt. Una (H.P.)को किया गया भुगतान राशि (G.S.T. को छोड़कर) का विवरण						
क्रम संख्या	फर्म का नाम	मद	बाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	दिनांक	राशि (G.S.T. के अतिरिकत)
1	M/S Gagan & Brothers	15th F.C.	12	22-Mar	600/601/ 602/603	13/02/2022	156800
2	M/S Gagan & Brothers	15th F.C.	13	22-Mar	598/599/ 604/605	13/02/2022	121251
3	M/S Gagan & Brothers	15th F.C.	14	22-Mar	590	13/02/2022	37230
4	M/S Gagan & Brothers	15th F.C.	5	May-22	51/52/53/	05-08-2022	149817
5	M/S Gagan & Brothers	15th F.C.	15	May-22	67	05-10-2022	28812
				TOTAL			**493910**

कार्यालय ग्राम पंचायत ईसपुर विकास खंड हरोली जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

माह 05/2022 में M/S Gagan & Brothers Jejo Morh,Vill. Ghaluwal,P.O.Saloh ,Distt. Una (H.P.)को किया गया भुगतान राशि (G.S.T. को छोड़कर) का विवरण

क्रम संख्या	फर्म का नाम	मद	बाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	दिनांक	राशि (G.S.T. के अतिरिकत)
1	M/S Gagan & Brothers	मनरेगा	216	May-22	390	21/12/2021	14700
2	M/S Gagan & Brothers	मनरेगा	217	May-22	385	21/12/2021	37230
3	M/S Gagan & Brothers	मनरेगा	218	May-22	386	21/12/2021	37230
4	M/S Gagan & Brothers	मनरेगा	219	May-22	387	21/12/2021	37230
5	M/S Gagan & Brothers	मनरेगा	220	May-22	388	21/12/2021	37230
6	M/S Gagan & Brothers	मनरेगा	221	May-22	384	21/12/2021	37230
7	M/S Gagan & Brothers	मनरेगा	222	May-22	383	21/12/2021	37230
8	M/S Gagan & Brothers	मनरेगा	223	May-22	382	21/12/2021	37230
9	M/S Gagan & Brothers	मनरेगा	227	May-22	389	21/12/2021	39200
10	M/S Gagan & Brothers	मनरेगा	228	May-22	164	08-01-2021	29260
11	M/S Gagan & Brothers	मनरेगा	229	May-22	391	22/12/2021	37230
12	M/S Gagan & Brothers	मनरेगा	230	May-22	392	22/12/2021	37230
13	M/S Gagan & Brothers	मनरेगा	231	May-22	393	22/12/2021	37230
14	M/S Gagan & Brothers	मनरेगा	232	May-22	394	22/12/2021	39200
15	M/S Gagan & Brothers	मनरेगा	233	May-22	395	22/12/2021	11040
16	M/S Gagan & Brothers	मनरेगा	164	May-22	165	08-01-2021	23994
				TOTAL			529694

कार्यालय ग्राम पंचायत ईसपुर विकास खंड हरोली जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

माह 05/2022 में M/s. OJAS BLOCKS &FLYASH BRICKS Village Baruhi .Distt. Una (H.P.)को किया गया भुगतान राशि (G.S.T. को छोड़कर) का विवरण

क्रम संख्या	फर्म का नाम	मद	बाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	दिनांक	राशि (G.S.T. के अतिरिकत)
1	M/s. OJAS BLOCKS &FLYASH BRICKS	मनरेगा	224	May-22	3289	01-01-2022	42000
2	M/s. OJAS BLOCKS &FLYASH BRICKS	मनरेगा	225	May-22	3291	01-01-2022	29820
3	M/s. OJAS BLOCKS &FLYASH BRICKS	मनरेगा	226	May-22	3263	01-01-2022	30000
4	M/s. OJAS BLOCKS &FLYASH BRICKS	मनरेगा	234	May-22	3290	01-01-2022	42000
5	M/s. OJAS BLOCKS &FLYASH BRICKS	मनरेगा	300	May-22	3264	22/12/2021	18000
6	M/s. OJAS BLOCKS &FLYASH BRICKS	मनरेगा	301	May-22	3506	01-10-2022	28800
7	M/s. OJAS BLOCKS &FLYASH BRICKS	मनरेगा	302	May-22	3507	01-10-2022	28350
8	M/s. OJAS BLOCKS &FLYASH BRICKS	मनरेगा	303	May-22	3508	01-10-2022	28350
9	M/s. OJAS BLOCKS &FLYASH BRICKS	मनरेगा	304	May-22	3509	02-11-2022	24300
10	M/s. OJAS BLOCKS &FLYASH BRICKS	मनरेगा	305	May-22	3510	02-11-2022	26100
11	M/s. OJAS BLOCKS &FLYASH BRICKS	मनरेगा	3	May-22	3504	04-06-2022	28350
12	M/s. OJAS BLOCKS &FLYASH BRICKS	मनरेगा	4	May-22	3505	04-07-2022	28800
13	M/s. OJAS BLOCKS &FLYASH BRICKS	मनरेगा	5	May-22	3501	04-05-2022	29700
14	M/s. OJAS BLOCKS &FLYASH BRICKS	मनरेगा	6	May-22	3502	04-05-2022	26100
15	M/s. OJAS BLOCKS &FLYASH BRICKS	मनरेगा	7	May-22	3503	04-06-2022	24300
	TOTAL						**434970**

परिशिष्ट 'च' पैरा संख्या 9.1 में सन्दर्भित

क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टयाँ न करना :-

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	14^{th} FC	03/22	600 to 603 शून्य	M/S GAGAN & BRO. GHALUWAL	स्टील पतरे	185024
			598, 599, 604 व 605 शून्य	M/S GAGAN & BRO. GHALUWAL	स्टील पतरे, प्लेन शीट इत्यादि	149075
			590 शून्य	M/S GAGAN & BRO. GHALUWAL	स्टील पाइप	43931
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	119 03/22	0211 20/02/22	RAJESH PVT. CONT. ISPUR	रेत	5760
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	120 03/22	0212 20/02/22	RAJESH PVT. CONT. ISPUR	रेत	6480
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	121 03/22	0216 20/02/22	RAJESH PVT. CONT. ISPUR	रेत	6480
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	125(A) 03/22	82194 21-03-22	HP CIVIL SUPPLY HAROLI	सीमेंट 100 बैग	29523
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	125(B) 03/22	82195 21-03-22	HP CIVIL SUPPLY HAROLI	सीमेंट 100 बैग	29523
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	132 03/22	1999 22/03/22	M/S BHATTI TRADERS GHALUWAL	बिजली का सामान	33624
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	8 05/22	209 23/03/21	CHANDER SHEKHDER ISPUR	रेत, बजरी	63000
9	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	11 05/22	82519 14/05/22	HP CIVIL SUPPLY HAROLI	CEMENT 100 BAGS	29523
10	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	12 05/22	6 30/04/22	M/S SAI TRADERS ISPUR	BRICKS 5000 NO.	37075
11	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	13 05/22	122 30/04/22	RAJU SHUTTERING STORE	शटरिंग	22000
12	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	15 05/22	1583, 1443,	RUDRA STONE CRUSHER BASAL	रेत	61320

			1444, 1445, 19/05/22, 20/05/22			
13	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	16 05/22	752 20/05/22	DHIMAN BOOK STORE HAROLI	स्टेशनरी	1795
14	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	17 05/22	210 01/05/22	RAJNISH PVT. CONT. ISPUR	मिट्टी	2828
15	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	18 05/22	211 01/05/22	RAJNISH PVT. CONT. ISPUR	बजरी	3744
16	मनरेगा	207 05/22	25 19/01/22	CHANDER SHEKHER ISPUR	बजरी	6426
17	मनरेगा	208 05/22	23 19/01/22	M/S NANDAN ENTERPRISES ISPUR	रेत, बजरी इत्यादि	13453
18	मनरेगा	213 05/22	32 19/01/22	CHANDER SHEKHER ISPUR	बजरी, रेत	8126
19	मनरेगा	293 05/22	1028 09-01-22	M/s Choudhary bro. & Sons	तसला, कस्सी इत्यादि	13335
20	मनरेगा	294 05/22	1026 09-01-22	M/s Choudhary bro. & Sons	तसला, कस्सी इत्यादि	13425
21	मनरेगा	295 05/22	34 17/02/22	M/S NANDAN ENTERPRISES ISPUR	रेत	4343
22	मनरेगा	296 05/22	36 17/02/22	M/S NANDAN ENTERPRISES ISPUR	बजरी	2608
23	मनरेगा	299 05/22	34 17/02/22	CHANDER SHEKHER ISPUR	बजरी	9180
24	मनरेगा	302 05/22	14 05/01/22	HIMURJA UNA	सोलर लाइट्स 6 नंबर	86304
25	मनरेगा	303 05/22	3506 10/01/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	GYM MATERIAL	35584
26	मनरेगा	304 05/22	3507 10/01/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	GYM MATERIAL	35053
27	मनरेगा	305 05/22	3508 11/01/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	GYM MATERIAL	30274
28	मनरेगा	306 05/22	3509 11/01/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	GYM MATERIAL	32398
29	मनरेगा	307 05/22	3510 11/01/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	GYM MATERIAL	36646
30	मनरेगा	05/22	14 05/01/22	HIMURJA UNA	सोलर लाइट्स 9 नंबर	129456

31	मनरेगा	216 05/22	390 21/12/21	M/S GAGAN & BRO. GHALUWAL	पेंट सामग्री	27346
32	मनरेगा	217 05/22	385 21/12/21	M/S GAGAN & BRO. GHALUWAL	STEEL PIPE	43931
33	मनरेगा	218 05/22	386 21/12/21	M/S GAGAN & BRO. GHALUWAL	STEEL PIPE	43931
34	मनरेगा	219 05/22	387 21/12/21	M/S GAGAN & BRO. GHALUWAL	STEEL PIPE	43931
35	मनरेगा	220 05/22	388 21/12/21	M/S GAGAN & BRO. GHALUWAL	STEEL PIPE	43931
36	मनरेगा	221 05/22	384 21/12/21	M/S GAGAN & BRO. GHALUWAL	STEEL PIPE	43931
37	मनरेगा	222 05/22	383 21/12/21	M/S GAGAN & BRO. GHALUWAL	STEEL PIPE	43931
38	मनरेगा	223 05/22	382 21/12/21	M/S GAGAN & BRO. GHALUWAL	STEEL PIPE	43931
39	मनरेगा	227 05/22	389 21/12/21	M/S GAGAN & BRO. GHALUWAL	स्टील पतरे	46256
40	मनरेगा	228 05/22	165 01/08/21	M/S GAGAN & BRO. GHALUWAL	STEEL ANGLE, तार इत्यादि	29260
41	मनरेगा	229 TO 233 05/22	391 से 395 22/12/21	M/S GAGAN & BRO. GHALUWAL	STEEL PIPE, पेंट सामग्री इत्यादि	199076
42	मनरेगा	236 05/22	011485 29/12/22	HP CIVIL SUPPLY HAROLI	150 बैग सीमेंट	44284.5
43	मनरेगा	246 05/22	011483 29/12/21	HP CIVIL SUPPLY HAROLI	170 बैग सीमेंट	50189.1
44	मनरेगा	252 05/22	26 19/01/22	M/S NANDAN ENTERPRISES ISPUR	रेत, बजरी	16043
45	मनरेगा	257 05/22	011486 29/12/21	HP CIVIL SUPPLY HAROLI	600 बैग सीमेंट	177138
46	मनरेगा	224 05/22	3289 01/01/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	TILES	49560
47	मनरेगा	225 05/22	3291 01/01/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	TILES	35188
48	मनरेगा	226 05/22	3263 22/12/21	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	RCC BENCH	35400
49	मनरेगा	3 05/22	3504 06/04/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	GYM MATERIAL	35028
50	मनरेगा	4 05/22	3505 06/04/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	GYM MATERIAL	35584

51	मनरेगा	5 05/22	3501 05/04/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	GYM MATERIAL	36646
52	मनरेगा	6 05/22	3502 05/04/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	GYM MATERIAL	32398
53	मनरेगा	7 05/22	3503 06/04/22	M/S OJAS BLOCK & FLYASH BRICKS	GYM MATERIAL	30274
54	मनरेगा	214 05/22	29 19/01/22	M/S NANDAN ENTERPRISES ISPUR	रेत, बजरी	9491
55	मनरेगा	215 05/22	30 19/01/22	M/S NANDAN ENTERPRISES ISPUR	रेत, बजरी	2895
56	15TH FC	14 05/22	1582 23/05/22	RUDRA STONE CRUSHER BASAL	रेत	9660
57	15TH FC	15 05/22	67 10/05/22	M/S GAGAN & BRO. GHALUWAL	स्टील	34398
					योग	**2410947.6**

MB
परिशिष्ट 'घ' पैरा संख्या 9.2 में सन्दर्भित

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	माह	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि
1	15th FC	03/22	Panchayat Bhawan Maintance	600 to 603 शून्य	स्टील पतरे	185024
				598, 599, 604 व 605 शून्य	स्टील पतरे, प्लेन शीट इत्यादि	149075
				590 शून्य	स्टील पाइप	43931
2	15th FC	05/22	Panchayat Bhawan Maintance	1058 to 1060 09/05/22	रेत, बजरी	21155
3	15th FC	05/22	C/o Under ground drain system H/o Kashmiri to Nala	82521 09/05/22	सीमेंट	29523
4	15th FC	05/22	Panchayat Bhawan Maintance	82521 09/05/22	सीमेंट	19190
5	15th FC	05/22	Panchayat Bhawan Maintance	106582 (01/04/22 to 28/04/22)	मजदूरी	43288
6	15th FC	05/22	Panchayat Bhawan Maintance	1582 23/05/22	रेत	9660
7	15th FC	05/22	Panchayat Bhawan Maintance	67 10/05/22	Steel	34398
8	15th FC	05/22	Panchayat Bhawan Maintance	10,11 01/05/2022	Pevers	73986
9	15th FC	05/22	C/o Under ground drain system H/o Kashmiri to Nala	106581 (01/04/22 to 30/04/22)	मजदूरी	74760
10	15th FC	05/22	C/o Under ground drain system H/o Kashmiri to Nala	214 20/05/22	Cement Carriage	2000
11	15th FC	05/22	Panchayat Bhawan Maintance	215 20/05/22	Cement Carriage	1300

12	मनरेगा	05/22	R/o Talab (panchvati) Pathkalan	3501 to 3505 05/04/22,06/04/22, 07/04/22	Gym Material	169930
13	मनरेगा	05/22	R/o Talab (panchvati) Pathkalan	11485, 14, 3263, 3289, 3291, 382 to 390 Dtd. 29.12.21, 05.01.22, 22.12.21, 01.01.22, 21.12.21	सीमेंट, सोलर लाइट्स STEEL PIPE, पेंट सामग्री इत्यादि	630723
14	मनरेगा	05/22	R/o Pond (panchvati) Shitla Mata	11486, 3264, 3290, 3506 to 3510, 391 to 395	सीमेंट, सोलर लाइट्स, tiles etc.	705073
15	मनरेगा	05/22	Chanalization of Nala F/o Parkash Chand to F/o Rattan Singh	34 to 36 17/02/22	रेत, बजरी	20427
16	मनरेगा	05/22	Chanalization of Nala F/o Brij to H/o Vijay Pathak	23 to 25, 404 19/01/22	बजरी, ढुलाई इत्यादि	23649
17	मनरेगा	05/22	Retaining Wall Puli se leker Tilak Raj	11483 29/12/21	सीमेंट	50189
18	मनरेगा	05/22	C/O Rasta cho se lekar viney ke ghar tak	2,26 to 28 19/01/22	रेत, बजरी इत्यादि	23568
19	मनरेगा	05/22	C/O Path link road to Shiv Kumar ke ghar tak	1, 29 to 30 19/01/22	रेत, बजरी इत्यादि	15926
					योग	**2326775/-**